रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-803/2026/2121/22-2-2025-17(209)/2006
लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संकटा (बन्दी संख्या-14013) पुत्र श्री जानकी, निवासी- भगवन्तनगर, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 में भा0द0वि0 की धारा-148,436,449,201,302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28-01-1997 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21-10-1997 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 25.03.2021 तक 24 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-803/2026/2121(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।